

न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/163/2024

रजू दिनांक: 05.12.2024

रजि0 न0 2024/276

अपीलार्थी:-

श्री तरुण सैनी एडवोकेट, निवासी 33-एच.
बैंक कॉलोनी, अलवर, जिला अलवर
(राजस्थान)।

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त
जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर (राजस्थान)

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 14.01.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 28.10.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 07.01.2025 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्रांक सम/19 दिनांक 09.01.2025 प्रेषित कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा RTI आवेदन दिनांक 28.10.2024 के माध्यम से जनसुनवाई दिनांक 11.02.2024 में प्रस्तुत परिवाद के अनुसरण में की गई कार्यवाही संबंधी सूचना चाही गई थी। उक्त आवेदन प्रभारी अधिकारी, सर्तकर्ता प्रकोष्ठ कलेक्टर अलवर/सहायक निदेशक लोक सेवाएं प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, मिनी सचिवालय अलवर को पत्र सं. 2098 दिनांक 07.11.2024/2353 दिनांक 13.12.2024 के माध्यम से सूचना प्रेषण हेतु अप्रेषित किया गया किन्तु समयान्तर में सूचना अप्राप्त रहने के कारण समय पर सूचना प्रेषित नहीं की जा सकी है। अब सहायक निदेशक लोक सेवाएं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, मिनी सचिवालय अलवर के पत्र सं. लो.सू.अ./2024/1845 दिनांक 26.12.2024 के माध्यम से सूचना (कुल 02 पृष्ठ) प्राप्त हुई है, जो मूल ही सलंगन कर सूचनार्थ प्रेषित की जा चुकी है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि सूचना आवेदन के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को पूर्व पत्रांक लो.सू.अ./2024/1845 दिनांक 26.12.2024 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर वांछित सूचना प्रेषित की जा चुकी है। तथापि प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/18 दिनांक 09.01.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानानुसार विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकी है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 14.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली के मूल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलेक्टर अलवर
(राजस्थान)